EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 135 to 142

Dated 28-01-2012

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 25.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 में :—

(क) नियम 12 में 'मास के उस तारीख को, जिसमें वे साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं'; शब्दों के स्थान पर 'मास की अन्तिम तारीख के अपराह्न को, जिसमें वे साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं' शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) अनुसूची में,—

(i) सहायक कमांडेंट (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :

(1)	(2)	(3)	(4)
9. सहायक कमांडेंट (साधारण ड्यूटी)	(1) ड्यूटी पद-1483 (2) परीवीक्षा आरक्षित-93 (3) प्रतिनियुक्ति आरक्षित-96 कुल-1672* (2012) *कार्यभार और नए सृजन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड 3; 15,600.-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5,400 रु.

(5)	(6)	(7)
चयन	नहीं	(क) 20 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती हैं) (ख) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

297 MA/12-1

(8)	(9)	(10)
(i) आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य । (ख) शारीरिक और चिकित्सीय मानक : **पुरुष** — **महिला** ऊंचाई - 165 सें.मी. — 157 सें.मी. सीना - 81 सें.मी. (बिना फुलाए हुए) — लागू नहीं होता - 86 सें.मी. (फुलाने पर) भार - 50 कि.ग्रा. — ऊंचाई के अनुसार किन्तु 46 कि.ग्रा. से कम नहीं दृष्टि (चश्में सहित या रहित) दूर दृष्टि — निकट दृष्टि अच्छी आंख (सही दृष्टि) खराब आंख — अच्छी आंख (सही दृष्टि) खराब आंख 6/6 6/12 या 6/9 6/9 — जे.I जे.II अभ्यर्थी को अंतर्जानु, सपाट पैर, अफस्फीत शिरा या आंखों में तिर्यक नहीं होना चाहिए और उच्च वर्ण दर्शन होना चाहिए । अभ्यर्थी का इशहारा परीक्षण के साथ-साथ इडरीच-ग्रीन लैटर्न परीक्षण द्वारा वर्ग दर्शन परीक्षण किया जाएगा । उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षपालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो । (ii) वांछनीय राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'ख' और 'ग' प्रमाण-पत्र का धारक हो या क्रीड़ा या खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धि अतिरिक्त अर्हता होगी । (iii) परीक्षा की योजना आदि ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सहायक कमांडेंट (केन्द्रीय पुलिस बल) परीक्षा के नियमों में उपबंधित हो सकेगी ।	लागू नहीं होता ।	''सीधी भर्ती, पदोन्नति और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयनित किए गए सहायक कमाण्डेंट के लिए 2 वर्ष'' ।

(11)	(12)
(1) 50% सीधी भर्ती द्वारा जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों में से 10% सहायक कमांडेंट (सीधे भर्ती) भी हैं । जिसके न हो सकने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा ।	I **प्रोन्नति :** (क) वेतन बैंड-2, 9,300–34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4,600 रु. में ऐसे सूबेदार/निरीक्षक/सूबेदार मेजर (साधारण ड्यूटी)/संचार साईफर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेट या हायर सेकेण्डरी या समतुल्य हो और सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित पाठ्यक्रम में अर्हित हो, अर्थात् :

(11)

(2) 17% केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, जैसे सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/भारत-तिब्बत सीमा पुलिस/सशस्त्र सीमा बल द्वारा चक्रानुक्रम आधार पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण : महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां सहायक कमांडेंट (सीधी भर्ती) के रैंक में भरी जाएंगी जो वर्षानुवर्ष आधार पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर प्रागणित होगी ।

(12)

(i) प्रवेश स्तर के पद/रैंक के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(ii) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित अन्य पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण ।

(iii) सभी निरीक्षक/सूबेदार (साधारण ड्यूटी) के लिए सर्विस कंपनी में दो वर्ष की सेवा या सूबेदार (संचार) के लिए ड्यूटी बटालियन में दो वर्ष की सेवा :

परन्तु सेवा कंपनी/ड्यूटी बटालियन में दो वर्ष की अवधि का उपबंध निम्नलिखित प्रवर्ग के सूबेदार/निरीक्षकों पर लागू नहीं होगा :

(क) निरीक्षक/सूबेदार (साईफर)

(ख) निरीक्षक/सूबेदार (साधारण ड्यूटी) जो वाटर विंग में कार्यरत हैं ।

(ग) ऐसे निरीक्षक/सूबेदार (साधारण ड्यूटी) जो इंजीनियरी शाखा, लघु आयुध कार्यशाला में आयुधीय तकनीकी निरीक्षक, विशेष मरम्मत संगठन, विशेष उपकरण कार्यशाला, केन्द्रीय कार्यशाला और भंडार, यान परिवहन कार्यशाला, लघु आयुध कार्यशाला, आंसूगैस यूनिट, फील्ड 'जी' टीम, फील्ड सतर्कता टीम, अन्य तकनीकी कार्यशाला में कार्यरत कनिष्ठ इंजीनियर, निरीक्षक/सूबेदार (साधारण ड्यूटी) जो प्रिटिंग प्रैस के स्वीकृत और स्थानान्तरित पदों के विरुद्ध तकनीकी/विशेष ड्यूटी पर और अन्य तकनीकी कार्यशाला या जो महा-निदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा तकनीकी के रूप में घोषित पदों पर कार्यरत हैं ।

(घ) सीमा सुरक्षा बल की केन्द्रीय क्रीड़ा टीम में निरीक्षक/सूबेदार

(ङ) चिकित्सा प्रवर्ग-शेप-1

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु, यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो/कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित हो जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

II. सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा :

(क) ऐसे उप निरीक्षक/निरीक्षक जिन्होंने चार वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण भी शामिल है, पात्र होंगे ।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 (पैंतीस) वर्ष होगी । अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वर्णित यथा अपेक्षित स्नातक होगी ।

(ग) सेवा के अच्छे अभिलेख हों ।

(घ) स्तंभ-8 के अधीन सहायक कमांडेंट (सीधी भर्ती) को लागू समान शारीरिक मानदंड होंगे ।

(ङ) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 रखता हो ।

17 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा में से सहायक कमांडेंट (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) के माध्यम से सहायक कमांडेंट के रैंक का चयन के लिए महिला उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के प्रवेश के लिए रिक्तियों की संख्या वर्षानुवर्ष आधार पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर प्रागणित होगी ।